



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 10 जनवरी 2026 ई० (पौष 20, 1947 शक संवत्) [संख्या 02

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	21-28	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	23-54	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	39-57	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780.00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूँ कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्रव्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

पुनीत कुमार तिवारी,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखनसामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग-7

सेवा-निवृत्ति

06 अगस्त, 2024 ई0

सं0 85रा0पा0/2024-सी0एक्स0-7—राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश में अनुसचिव के पद पर कार्यरत श्री सैय्यद आसिफ कमाल, जिनकी जन्म तिथि 28 दिसम्बर, 1964 है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

नियुक्ति

02 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 I/731681/2024—राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश में निजी सचिव सेवा की अधिकारी श्रीमती अनीता आनन्द, निजी सचिव श्रेणी-एक को निजी सचिव श्रेणी-2 वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700—2,08,700) के पद पर दिनांक 06 फरवरी, 2024 के पूर्वान्ह से एतद्वारा प्रोन्नत कर नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
डा0 संजीव गुप्ता,
सचिव।

अनुभाग-3

अधिसूचना

26 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 I/754391/2024-सी0एक्स0-3—चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग संपीडित बायोगैस उत्पन्न करने हेतु किया जाता है, जिससे कि इसे हीटिंग, खाना पकाने, वाहन ईंधन, उर्वरक, विद्युत उत्पादन के लिये नवीकरणीय ऊर्जा श्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकें,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो धारा 3 उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19, सन् 1923) की

धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है,

अतएवं, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर के 200 टन प्रतिदिन सीबीजी संयंत्र (संपीडित बायोगैस प्लांट) एवं इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के जैव ईंधन काम्प्लेक्स, पुरानी धुरियापार चीनी मिल के पास ग्राम-हरपुर, तहसील-गोला, थाना-गोला, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

पूर्व में-	ग्राम सभा और काश्तकार।
पश्चिम में-	चीनी मिल और काश्तकार।
उत्तर में-	नदी तैरना।
दक्षिण में-	आर एस पी विद्यालय

आज्ञा से,
राजेश कुमार
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. I/754388/2024-CX-3**, dated 26 September, 2024 for general Information.

Notification

September 26, 2024

No. I/754388/2024-CX-3-WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for generating compressed biogas for it to be used as a renewable energy source for heating, cooking, vehicle fuel, fertilizer, electricity generation ;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has vide Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963, published in Part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "**prohibited place**" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.

200 Toon Per Day CBG Plant (compressed Biogas Plant) and Bio Fuel Complex of Indian Oil Corporation Limited, Gorakhpur, Near Old Dhuriapar Sugar Mill, Village-Harpur, Tehsil-Gola, Thana-Gola, District-Gorakhpur, Uttar Pradesh.

In East-	Gram-Sabha and Farmers.
In West-	Sugar Mills and Far
In North-	River Taraina.
In South-	RSP School.

By Order,
Rajesh Kumar,
Secretary.

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

18 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 139/2024/2571/23-3-2024-1840693—लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अशोक कुमार द्विवेदी (ज्येष्ठता क्रम-2016) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता स्तर-1 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400—67,000 एवं ग्रेड पे रु0 10,000/- (पे मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री अशोक कुमार द्विवेदी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

सं0 140/2024/2572/23-3-2024-1840693—लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री विजय कन्नौजिया (ज्येष्ठता क्रम-2021) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता स्तर-1 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400—67,000 एवं ग्रेड पे रु0 10,000/- पे मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री विजय कन्नौजिया, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

सं0 141/2024/2573/23-3-2024-1840688—लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री श्रीराज को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रमुख अभियंता के पद पर वेतनमान रु0 67,000—79,000 (पे मैट्रिक्स लेवल-15) में नियमित पदोन्नत करते हुए प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री श्रीराज, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पद का कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण-विभाग

खाद्य प्रसंस्करण-अनुभाग

कार्यालय-ज्ञाप

18 जुलाई, 2024 ई0

संख्या 742/58-2-2014-40/2023—उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत फल संरक्षण अधिकारी, श्रेणी-2 के 05 पदों हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु जनवरी, 1992 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसमें आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 07 मार्च, 1992 निर्धारित थी। उक्त पद हेतु अनिवार्य अर्हता बी0एस0सी0/बी0एस0सी0 कृषि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फूड/फ्रूट टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा थी। दिनांक 19 व 21 मई, 1994, दिनांक 08 सितम्बर, 1994 एवं दिनांक 15 नवम्बर, 1995 को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा 05 अभ्यर्थियों को योग्य पाते हुए दिनांक 24 अक्टूबर, 1996 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया एवं तत्क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 1996 को संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी।

2— लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गई संस्तुति के आधार पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4765/अट्टावन-1-96-505/93, दिनांक 09 अप्रैल, 1997 द्वारा 05 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये। उक्त कार्यालय-ज्ञाप में अकिल सूची के क्रमांक 4 पर श्री अवध नारायण त्रिपाठी को फल संरक्षण अधिकारी, आगरा, उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी। नियुक्ति आदेश के अनुपालन में श्री त्रिपाठी द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 1997 को कार्य-भार ग्रहण किया गया।

3— श्री अवध नारायण त्रिपाठी के विरुद्ध लोक सेवा आयोग में शिकायतें प्राप्त हुई कि फल संरक्षण अधिकारी पद की शैक्षिक योग्यता फूड/फ्रूट टेक्नालॉजी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा थी। आवेदन के समय श्री त्रिपाठी शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करते थे। दिनांक 17 मार्च, 1998 को श्री त्रिपाठी के डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की जाँच हेतु संयुक्त निदेशक, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, लखनऊ को लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। संयुक्त निदेशक, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, लखनऊ के पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1998 द्वारा आयोग को यह अवगत कराया गया कि संस्थान के अभिलेखों की जाँचोपरान्त सत्र-1989-91, जिसमें श्री अवध नारायण त्रिपाठी भी छात्र थे, का परीक्षाफल दिनांक 01 मई, 1992 को घोषित किया गया लथा उसी दिन अंकतालिका भी जारी की गयी। श्री अवध नारायण त्रिपाठी का परीक्षाफल दिनांक 01 मई, 1992 को घोषित हुआ जबकि फल संरक्षण अधिकारी, श्रेणी-2 के 05 पदों हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 07 मार्च, 1992 थी।

4— इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग द्वारा श्री त्रिपाठी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त पाया गया कि श्री त्रिपाठी आवेदन के समय आवेदित पद हेतु अर्ह नहीं थे। अतः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 30 जून, 1999 द्वारा श्री त्रिपाठी की चयन। की संस्तुति वापस ले ली गयी। लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 30 जून, 1999 द्वारा संस्तुति वापस लिये जाने के आधार पर शासन की विज्ञप्ति संख्या-2967/58-1-99-294/97, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 द्वारा श्री त्रिपाठी की सेवा समाप्त कर दी गयी।

5— श्री अवध नारायण त्रिपाठी द्वारा सेवा समाप्त किये जाने विषयक विज्ञप्ति संख्या-2967/58-1-99-294/97, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 के विरुद्ध रिट याचिका संख्या-42016/1999 मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी। मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 01 अक्टूबर, 1999 द्वारा श्री त्रिपाठी की सेवा समाप्त किये जाने सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या-2967/58-1-99-294/97, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 को स्थगित कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01 अक्टूबर, 1999 के अनुपालन में श्री त्रिपाठी के सेवा समाप्ति विषयक आदेश दिनांक 24 सितम्बर, 1999 को शासन के पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 1999 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया।

6— मा0 उच्च न्यायालय द्वारा श्री त्रिपाठी की उक्त रिट याचिका को पैरवी के अभाव में आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2012 द्वारा डिसमिस कर दिया गया। उक्त डिसमिसल के उपरान्त श्री त्रिपाठी द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2012 को पुनर्ग्रहण प्रार्थना-पत्र मा0 उच्च न्यायालय में दायर किया गया, जिस पर विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2013 द्वारा रिट याचिका संख्या-42016/1999 को अपने मूल नम्बर पर रिस्टोर करते हुए अपने पूर्व आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2012 को रिकाल किया गया। तत्पश्चात श्री त्रिपाठी की प्रश्नगत् याचिका को मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2014 द्वारा पैरवी के अभाव में पुनः निरस्त कर दिया गया।

7— श्री त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2014 को रिकाल करने हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दिया गया। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रश्नगत् रिट याचिका को निरस्त करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2014 को रिकाल करते हुये पुनर्स्थापित कर दिया गया। प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा याची के विवाद को विभागीय दिवाद समाधान फोरम के माध्यम से 08 सप्ताह में निस्तारित किये जाने के आदेश पारित किये गये। विभागीय विवाद समाधान फोरम सक्रिय क्रियाशील न होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण फोरम के माध्यम से कराया जाना संभव नहीं हो सका। इसी मध्य मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका को आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2019 द्वारा डिसमिस कर दिया गया।

8— श्री त्रिपाठी को सेवा में बनाये रखने के बिन्दु पर शासन के पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2019 द्वारा लोक सेवा आयोग का अभिमत माँगा गया। किन्तु लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2022 द्वारा श्री अवध नारायण त्रिपाठी का अभ्यर्थन दिनांक 19 जून, 1999 को लिये गये निर्णय के क्रम में निरस्त करते हुए उनकी संस्तुति वापस लिये जाने पर दृढ़ता व्यक्त की गयी है।

9— श्री अवध नारायण त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-42016/1999 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2017 द्वारा डिसमिस किये जाने के आधार पर श्री अवध नारायण त्रिपाठी की सेवायें नियुक्ति के दिनांक 09 अप्रैल, 1997 से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,
बी0 एल0 मीणा,
अपर मुख्य सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 जनवरी, 2026 ई० (पौष 20, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

12 सितम्बर, 2024 ई०

सं० 1850/आठ-125/2022-24-जिलाधिकारी-बागपत के पत्रांक-618/सात डी०एल०आर०सी०/2024-25, दिनांक 13.08.2024 के द्वारा ग्राम-काठा, तहसील-खेकड़ा, परगना व जनपद-बागपत में विकसित की जा रही दुर्गा इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप की भूमि के मध्य आ रही ग्राम सभा काठा, तहसील खेकड़ा, जिला बागपत की भूमि खसरा संख्या-1858 रकबा 0.0630 हे० (कूप) का आवेदक संस्था की उसी ग्राम में स्थित निजी भूमि खसरा संख्या-1484 रकबा 0.2150 हे० में से 0.0788 हे० से विनिमय किये जाने की संस्तुति करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।

जिलाधिकारी-बागपत के पत्र दिनांक 13 अगस्त, 2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण मण्डलायुक्त के कार्यालय आदेश दिनांक 06 सितम्बर, 2024 द्वारा गठित समिति से कराया गया। जिलाधिकारी-बागपत द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की मांगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-प्र०स०-45/एक-1-2023-रा०-1, दिनांक 15 मार्च, 2023 के प्राविधानों के अनुसार ग्राम-काठा, परगना बागपत, तहसील-खेकड़ा, जनपद-बागपत में विकसित की जा रही दुर्गा इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप की भूमि के मध्य आ रही ग्राम-सभा काठा, तहसील-खेकड़ा, जिला-बागपत की भूमि खसरा संख्या 1858 रकबा 0.0630 हे० (कूप) का श्रेणी परिवर्तन करते हुए उसी ग्राम में स्थित संस्था की निजी भूमि खसरा संख्या-1484 रकबा 0.2150 हे० में से 0.0788 हे०, जिसका मूल्य सर्किल रेट के हिसाब से अंकन रुपये 53,58,400.00 है, से विनिमय

की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व जिलाधिकारी-बागपत/सक्षम प्राधिकारी का होगा।

1— जिलाधिकारी बागपत द्वारा आवेदक संस्था को ग्राम समाज की विनियम में दी जाने वाली प्रश्नगत भूमि का कब्जा हस्तान्तरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आवेदक संस्था दुर्गा इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप, ग्राम-काठा, तहसील-खेकड़ा, जिला-बागपत द्वारा पक्का कुआँ खसरा नम्बर 1858 क्षेत्रफल 0.0630 हे० के स्थान पर ग्राम पंचायत काठा के खसरा संख्या-1484 रकबा 0.0788 में उचित गहराई का पक्का तालाब खुदवा दिया गया है तथा प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि (कूप) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

2— जिलाधिकारी-बागपत द्वारा आवेदक संस्था दुर्गा इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप बागपत के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम-काठा, परगना बागपत, तहसील- खेकड़ा, जिला-बागपत से विनियम के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त संस्था की भूमि को सार्वजनिक उपयोग/तालाब के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3— उप जिलाधिकारी खेकड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनियम में प्राप्त होने वाली भूमि खसरा संख्या-1484 रकबा 0.2150 हे० में से 0.0788 हे० पर आवेदक संस्था का स्वामित्व निर्विवादित हो तथा आवेदक संस्था द्वारा विनियम में दी जाने वाली भूमि पर किसी सहखातेदार की आपत्ति न हो।

4— विनियम में दी जाने वाली भूमि एवं विनियम में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी-खेकड़ा द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

5— विनियम के सापेक्ष संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि का राजस्व अभिलेखों में ग्राम-सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ही ग्राम-सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा संस्था को दिया जायें साथ ही संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जायें।

6— आवेदक संस्था की निजी भूमि के मध्य आने वाली ग्राम सभा की भूमि खसरा संख्या 1858 रकबा 0.0630 हे० (श्रेणी 6-1 चाह पुख्ता) स्थित ग्राम-काठा, तहसील-खेकड़ा, जिला-बागपत का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनियम के लिए प्रस्तावित कूप की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी।

7— लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनियम का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी-बागपत द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही-15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

8— जिलाधिकारी बागपत द्वारा कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

24 दिसम्बर, 2024 ई०

सं० 503/आठ-12/2024-26—जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पत्रांक-1884/डी०एल०आर०सी०, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 के द्वारा बुलन्दशहर-खुर्जा-विकास प्राधिकरण, जनपद-बुलन्दशहर की ग्राम किरा में प्रस्तावित योजना खुर्जा-औद्योगिक पार्क के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम-सभा किरा, तहसील-खुर्जा, जिला-बुलन्दशहर की भूमि खसरा संख्या-566/0.0110 हे०, ख०सं०-610/0.002 हे०, ख०सं०-635/0.022 हे०, ख०सं०-662/0.006 (जो नाली के रूप में दर्ज है) तथा ख०सं०-634/0.056 हे०, ख०सं०-637/0.176 हे०, ख०सं०-641/रकबा 0.027 हे० (जो चकमार्ग के रूप में दर्ज है) कुल रकबा 0.299 हे० का बुलन्दशहर-खुर्जा-विकास प्राधिकरण, जनपद बुलन्दशहर के स्वामित्व की उसी ग्राम

में स्थित भूमि गाटा संख्या-647, कुल रकबा 0.299 हे0 (जिसमें से 0.034 हे0 भूमि में चकमार्ग एवं शेष 0.265 हे0 भूमि एकजाई, जिसकी नौय्यत नाली/चकमार्ग रहेगी) से विनिमय किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।

जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की मांगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुलन्दशहर-खुर्जा-विकास प्राधिकरण, जनपद-बुलन्दशहर की ग्राम-किर्वा में प्रस्तावित योजना खुर्जा-औद्योगिक पार्क के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम सभा-किर्वा, तहसील-खुर्जा, जिला-बुलन्दशहर की भूमि खसरा संख्या-566/0.0110 हे0, ख0सं0-610/0.002 हे0, ख0सं0-635/0.022 हे0, ख0सं0-662/0.006 (जो नाली के रूप में दर्ज है) तथा ख0सं0-634/0.056 हे0, ख0सं0-637/0.176 हे0, ख0सं0-641/रकबा 0.027 हे0 (जो चकमार्ग के रूप में दर्ज है) कुल रकबा 0.299 हे0 का श्रेणी परिवर्तन करते हुए बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की उसी ग्राम में स्थित भूमि गाटा संख्या-647, कुल रकबा 0.299 हे0 भूमि, जिसका कुल मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से 84,91,600.00 है, से विनिमय की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, की धारा-101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व जिलाधिकारी-बुलन्दशहर/सक्षम प्राधिकारी का होगा।

1— उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राधिकरण की ग्राम-किर्वा में प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। प्राधिकरण से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी-बुलन्दशहर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2— जिलाधिकारी-बुलन्दशहर द्वारा बुलन्दशहर-खुर्जा-विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम-किर्वा, तहसील-खुर्जा, जिला-मेरठ से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त प्राधिकरण की भूमि को सार्वजनिक उपयोग/नाली व चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3— उप जिलाधिकारी (खुर्जा) बुलन्दशहर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि गाटा संख्या-647, कुल रकबा 0.299 हे0 पर आवेदक प्राधिकरण का स्वामित्व निर्विवादित हो।

4— विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी-खुर्जा द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

5— विनिमय के सापेक्ष प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि कुल रकबा 0.299 हे0 में से 0.034 हे0 भूमि में चकमार्ग एवं शेष 0.265 हे0 भूमि एकजाई (जिसकी नौय्यत नाली/चकमार्ग रहेगी) का राजस्व अभिलेखों में ग्राम-सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ही ग्राम-सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित प्राधिकरण को दिया जायें साथ ही प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जायें।

6— विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम-सभा की प्रस्तावित भूमि (नाली व चकमार्ग) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

7— आवेदक प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि के मध्य आने वाली ग्राम-सभा भूमि खसरा संख्या-566/0.0110 हे०, ख०सं०-610/0.002 हे०, ख०सं०-635/0.022 हे०, ख०सं०-662/0.006 (नाली) तथा ख०सं०-634/0.056 हे०, ख०सं०-637/0.176 हे०, ख०सं०-641/रकबा 0.027 हे० (चकमार्ग) कुल रकबा 0.299 हे० स्थित ग्राम-किर्वा, तहसील-खुर्जा, का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित नाली व चकमार्ग की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी।

8— लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9— जिलाधिकारी-बुलन्दशहर द्वारा कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सेल्वा कुमारी जे०,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

कानपुर देहात के जिलाधिकारी की आज्ञायें

आकार पत्र-1

23 फरवरी, 2024 ई०

सं० 1363/डीएलआरसी-का०दे०-पुनर्ग्रहण/2024—उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके, शासनादेश संख्या-536/एक-1-2019-रा०-1, दिनांक 17 जून, 2019 स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत टोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सेनेटरी लैण्ड फिल साइट के विकास हेतु नगर विकास विभाग को “सेवारत” विभाग की श्रेणी में रखते हुए ग्राम समाज की भूमि निशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, जिलाधिकारी, कानपुर देहात, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	परगना व तहसील	ग्राम	खाता संख्या	गाटा सं०	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कानपुर देहात	डैरापुर	डैरापुर	किशवापुर	62मि०	0.257 हेक्टेयर	5—3ड़ बंजर	मैटेरियल रिकवरी फौसिलिटी सेन्टर (एम०आर०एफ०) की स्थापना हेतु (नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश)

सं0 1364/डीएलआरसी-का0दे0-पुनर्ग्रहण/2024-उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके, शासनादेश संख्या-05/2017/4651/नौ-8-2017-21ज/2016, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 व शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मै, जिलाधिकारी, कानपुर देहात, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	परगना व तहसील	ग्राम	खाता संख्या	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कानपुर देहात	अकबरपुर	अकबरपुर	अम्बरपुर	485मि0	0.925 हेक्टेयर	6-4 ऊसर	कान्हा गौशाला निर्माण हेतु (नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश)

03 मई, 2024 ई0

सं0 1405/डीएलआरसी-का0दे0-पुनर्ग्रहण/2024-उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके, शासनादेश संख्या-05/2017/4651/नौ-8-2017-21ज/2016, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 व शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मै, जिलाधिकारी, कानपुर देहात, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	परगना व तहसील	ग्राम	खाता संख्या	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कानपुर देहात	अकबरपुर	अकबरपुर	आघूकमालपुर	93	0.4500 हेक्टेयर	6-4	मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनये जाने हेतु (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश,)

आलोक सिंह,
जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

आकार पत्र-1

26 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 311/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2024-25-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	पुनर्ग्रहीत रकवा	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हेक्टेयर									
1	महोबा	कुलपहाड़	जैतपुर	जैतपुर	931/1	0.5470	0.5470	श्रेणी-5-1	पुलिस विभाग को
					931/2	0.5180	0.5180	कृषि योग्य	थाना कुलपहाड़ के
					931/3	0.3930	0.3930	बंजर भूमि	क्षेत्रान्तर्गत चौकी
					931/4	0.8210	0.2000	नवीन परती	बेलाताल को नया
									थाना स्थापित किये
									जाने हेतु
योग .						2.2790	1.6580		

सं0 312/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2024-25-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी	चरखारी	महाराज नगर	310ख	0.3200 हेक्टेयर	श्रेणी-5-1 कृषि योग्य भूमि नवीन परती	पुलिस विभाग को थाना कोतवाली चरखारी क्षेत्र अन्तर्गत महिला रिपोर्टिंग चौकी/परामर्श केन्द्र के निर्माण हेतु

03 अक्टूबर, 2024 ई0

सं० 316/डी0एल0आर0सी0-12ए-विनियम/2024-25-राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77 से आच्छादित आरक्षित श्रेणी की भूमियों को श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनियम की कार्यवाही नितान्त अपवादात्मक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही की जायेगी और यदि धारा-77 से आच्छादित भूमि की श्रेणी का पुनर्ग्रहण/विनियम किया जाता है, तो उतनी ही अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारण में आरक्षित की जायेगी या धारा-101 (2) परन्तुक के अन्तर्गत विनियम के माध्यम से की जायेगी।

उपजिलाधिकारी, चरखारी ने अपने पत्र संख्या-562/रा0नि0/2023-24 दिनांक 23 जुलाई, 2024 द्वारा 220/132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, ककरा तहसील चरखारी की स्थापना हेतु सुरक्षित श्रेणी/सार्वजनिक उपयोग की भूमि के विनियम/श्रेणी परिवर्तन एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु परियोजना के निर्माण हेतु क्रय भूमि से किये जाने का हेतु विनियम प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं०-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक ग्राम सभा के प्रबंधन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 व 4 एवं 10 व 12 में अंकित भूमि को 220/132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, ककरा तहसील चरखारी की स्थापना हेतु नीचे दिये गये विवरण के अनुसार निःशुल्क विनियम की जाती है।

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 (2) सहपठित धारा 101 (2) परन्तुक के अन्तर्गत विनियम/श्रेणी परिवर्तन की जाने वाली भूमि का विवरण—

ग्राम पंचायत/अन्य स्थानीय प्राधिकारण की भूमि/संस्था को दी जाने वाली भूमि का विवरण								ग्राम पंचायत/अन्य स्थानीय प्राधिकारण की भूमि/संस्था को दी जाने वाली भूमि का विवरण						
क्र० सं०	ग्राम का नाम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	प्रस्तावित क्षेत्रफल	भूमि की वर्तमान श्रेणी/प्रकृति	परिवर्तित की जाने वाली भूमि की श्रेणी/प्रकृति	मूल्यांकन	ग्राम का नाम	गाटा सं०	कुल क्षेत्रफल	आरक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	भूमि की वर्तमान श्रेणी/प्रकृति	भूमि की नई श्रेणी/प्रकृति	मूल्यांकन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				हेक्टेयर			लाख			हेक्टेयर	हेक्टेयर			लाख
1	ककरा	162	0.145	0.145	6-2	1-क	103000	ककरा	139	1.439	0.2362	1-क	6-2	219000
		163	0.061	0.061	6-1	1-क	77000							
	योग...		0.206	0.206			180000			1.439	0.2362			219000

04 अक्टूबर, 2024 ई०

संख्या-319/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्ग्रहण/2024-25—मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा लखनऊ के पत्र संख्या-7647/यूपीडा 19/1772 VolI-III (भू-अर्जन) दिनांक 15 मार्च, 2024 के द्वारा जनपद महोबा की तहसील महोबा के ग्राम खन्ना में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवेज के नजदीक औद्योगिक गलियारा परियोजना के निर्माण हेतु संरक्षण से प्रभावित 4.067 हे० ग्राम समाज की भूमि का पुनर्ग्रहण शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 (यथा संशोधित) शासनादेश संख्या-578/एक-1-2023-1-1099/46/2023 लखनऊ दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अन्तर्गत यूपीडा के पक्ष में निःशुल्क किये जाने के अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं आंशिक संशोधन शासनादेश संख्या-5/2018/1934/एक-1-2018-रा०-1, दिनांक 04. सितम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के निहित प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं०-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा निम्न में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	खन्ना	1499	0.563	श्रेणी-5-3ड अन्य कृषि	औद्योगिक गलियारा
					1036	0.599	योग्य बंजर भूमि	परियोजना के निर्माण
					योग. .	1.162		हेतु यूपीडा (उ०प्र०
					1458	0.061	श्रेणी-6-1 अकृषिक	एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
					1025	0.146	भूमि जलमग्न भूमि	विकास प्राधिकरण) के
					1035	0.024	(नाली/नाला)	पक्ष में
					1043	0.045		
					1452	0.053		
					1469	0.182		
					1477	0.073		
					1494	0.065		
					1497	0.073		
					1514	0.049		
					1031	0.053		
					योग. .	0.824		
					1521	0.045	श्रेणी-6-2 अकृषिक	
					1513	0.073	भूमि स्थल, सड़के,	
					1498	0.081	रेलवे, भवन और ऐसी	
					1473	0.109	भूमियां जो अकृषित	
					1045	0.109	उपयोगों के काम में	
					1029	0.045	लायी जाती हों	
					1024	0.028	(चकमार्ग/रास्ता	
					1462	0.061	/मुख्यमार्ग)	
					1457	0.121		
					1509	0.182		
					1485	0.749		
					1455	0.146		
					1454	0.332		
					योग. .	2.081		
					कुल योग. .	4.067		

28 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 424/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2024-25-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	महोबा	महोबा	महोबा	थाना	840/1	1.878 में से 1. 650	श्रेणी-5-4 जो अन्य कारणों से अकृषित (ऊसर)	पर्यटन विभाग को राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एस0आई0एच0एम0) की स्थापना हेतु
					842	0.729 में से 0. 375		
योग.						2.025		

02 जनवरी, 2025 ई0

सं0 475/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2024-25-उप मुख्य अभियंता निर्माण-1, उत्तर मध्य रेलवे, झॉसी के पत्र संख्या-झॉसी/सी/डीओ/झॉसी-मानिकपुर दोहरीकरण/वन भूमि दिनांक 26 अगस्त, 2024 के द्वारा जनपद महोबा की तहसील कुलपहाड़ के ग्राम जैतपुर में झॉसी खैरार-मानिकपुर और खैरार-भीमसेन रेल लाइन दोहरीकरण से प्रभावित ग्राम जैतपुर की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के बदले सन्तुल्य गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु परियोजना के दृष्टिगत वन विभाग को सशुल्क उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	जैतपुर	224क	0.174 हे० में से 0.0817 हे०	श्रेणी-5-1-कृषि योग्य भूमि नवीन परती (परती जदीद)	उत्तर मध्य रेलवे, भारत सरकार के पक्ष में विशेष रेन परियोजना झॉसी-खैरार-मानिकपुर व खैरार-भीमसेन रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना से प्रभावित संरक्षित वन भूमि के बदले वन विभाग को गैर वानिकी वनीकरण हेतु
योग . .						0.0817		

20 फरवरी, 2025 ई०

सं० 591/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्ग्रहण/2024-25—उप मुख्य अभियंता, निर्माण-1, उत्तर मध्य रेलवे, झॉसी के पत्र संख्या-झॉसी/सी/डी०ओ०/खैराड़ा कॉर्ड लाईन/पुनर्ग्रहण दिनांक 20 जुलाई, 2024 के द्वारा विशेष रेल परियोजना, झॉसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना (खैराड़ा कॉर्ड लाईन) के अन्तर्गत प्रभावित तहसील महोबा जनपद महोबा के ग्राम पंचपहरा की गांव सभा भूमि को पुनर्ग्रहण के माध्यम से सशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा करते हुये दिनांक 17 फरवरी, 2025 को मूल्यांकित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं०-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	पुनर्गृहीत अर्जित रकबा	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हेक्टेयर									
1	महोबा	महोबा	महोबा	पंचपहरा (मटौंध)	680	0.088	0.0055	श्रेणी-6-2-(मुख्यमार्ग/चकमार्ग)	उत्तर मध्य रेलवे झॉसी को विशेष रेल परियोजना झॉसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण हेतु
					693	0.291	0.0037		
					679	0.135	0.135		
					661	0.144	0.144		
योग . .						0.658	0.2882		

सं0 592/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2024-25—उप मुख्य अभियंता, निर्माण-1, उत्तर मध्य रेलवे, झॉसी के पत्र संख्या-झॉसी/सी/डी0ओ0/खैराडा कॉर्ड लाईन/पुनर्ग्रहण दिनांक 20 जुलाई, 2024 के द्वारा विशेष रेल परियोजना, झॉसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना (खैराडा कॉर्ड लाईन) के अन्तर्गत प्रभावित तहसील महोबा जनपद महोबा के ग्राम अकबई की गांव सभा भूमि को पुनर्ग्रहण के माध्यम से सशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा करते हुये दिनांक 17 फरवरी, 2025 को मूल्यांकित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके कम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	पुनर्ग्रहीत अर्जित रकबा	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						हेक्टेयर			
1	महोबा	महोबा	महोबा	अकबई	222	0.989	0.0062	श्रेणी-6-2-	उत्तर मध्य रेलवे झॉसी
					231	0.599	0.0068	(रास्ता)	को विशेष रेल
					213	0.522	0.0012	श्रेणी-15(2)	परियोजना झॉसी-
								(नॉनजेडए	खैरार-मानिकपुर एवं
								सड़क)	खैरार-भीमसेन रेल
					232/771/1	0.035	0.0092	श्रेणी-5(3)ड़	लाईन दोहरीकरण हेतु।
								बंजर भूमि	
					योग.	2.110	0.0234		

25 फरवरी, 2025 ई0

सं0 599/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2024-25—संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन राज्य कर अनुभाग-4 लखनऊ के पत्र संख्या-434/11-4-2024-ई0-1862681 दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं सहायक आयुक्त/आहरण वितरण अधिकारी राज्य कर महोबा के पत्र संख्या-510/सहा0आयु0(ए)रा0क0/महोबा/2024-25 दिनांक 05 नवम्बर, 2024 के द्वारा राज्य कर कार्यालय महोबा के भवन निर्माण हेतु के नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा के क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	पुनर्गृहीत क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महोबा	महोबा	महोबा	मुड़हरा	619	2.559 हेक्टेयर	0.300	श्रेणी-5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	राज्य कर विभाग को राज्य कर कार्यालय महोबा के भवन निर्माण हेतु

27 फरवरी, 2025 ई०

सं० 600/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्गृहण/2024-25-आयुक्त महोदय चित्रकूटधाम मण्डल बांदा के पत्र संख्या-1640/आर०ए०-भूमि पुनर्गृहण-चिकि० एवं स्वा० विभाग/2025 दिनांक 28 जनवरी, 2025 एवं विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ के पत्र संख्या-1/859072/2025 दिनांक 23 जनवरी, 2025 के द्वारा 200 सैय्या युक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर और क्रिटिकल केयर ब्लॉक के भवन निर्माण हेतु ग्राम-मुड़हरा, तहसील-महोबा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु पुनर्गृहीत रकवा 11.749 हे० अर्थात् 29.03 एकड़ में से 9.03 एकड़ भूमि के अतिरिक्त 1.3 एकड़ भूमि चिकित्सालय हेतु एवं 1.5 एकड़ भूमि किटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण हेतु कुल 2.8 एकड़ भूमि का पुनर्गृहण आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पक्ष में पुनर्गृहण आदेश पारित किये जाने की अपेक्षा के क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं०-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये पूर्व में कार्यालय जिलाधिकारी महोबा के आदेश संख्या-54/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्गृहण/2022-23 दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 द्वारा कुल 5 किता रकवा 11.749 हे० (29.3 एकड़) भूमि जो चिकित्सा शिक्षा विभाग को मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु पुनर्गृहीत की गयी थी, में से विशेष सचिव उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ के पत्र दिनांक 28 जून, 2024 के अनुरोध के कम में 9.03 एकड़ भूमि कार्यालय जिलाधिकारी महोबा के आदेश संख्या-192 दिनांक 18 जुलाई, 2024 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पक्ष में पुनर्गृहण की जा चुकी है, इसके अतिरिक्त पुनः विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ के पत्र संख्या-1/859072/2025 दिनांक 23 जनवरी, 2025 द्वारा किये गये अनुरोध के कम में 2.80 एकड़ भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्गृहीत की जानी है। जिसके कम में, मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	मुड़हरा	484- ख	6.912 हे० में से 1.134 हे० (2.80 एकड़)	श्रेणी-6-4 जो अन्य कारणों से अकृषित हो (ऊसर)	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ०प्र० के पक्ष में।

28 फरवरी, 2025 ई०

सं० 605/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्ग्रहण/2024-25-अभियोजन, निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-स्टोर-336-2022/2686/2023 दिनांक 14 जुलाई, 2023 के द्वारा जनपदीय अभियोजन कार्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा के क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं०-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपनेअधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	महोबा	2478	0.413 हे० के बंजर रकवे 0.223 हे० में से 0.036 हे०	श्रेणी-5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	अभियोजन विभाग को जनपदीय अभियोजन कार्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु।

जिलाधिकारी/कलेक्टर,
महोबा।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन कि विज्ञप्ति

कार्यालय, जिलाधिकारी, फतेहपुर

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 1908/आठ-अ0जि0 (भू0अ0) कानपुर नगर— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उप धारा-1 कलेक्टर फतेहपुर की राय है कि डालमिया भारत ग्रीन विजन लि0 द्वारा 2 एम0टी0ए0 सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट स्थापित किये जाने हेतु जनपद फतेहपुर तहसील बिन्दकी के ग्राम पट्टर की कुल 1.9713 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2— राज्य सामाजिक समाधात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3— सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

- इस प्लान्ट से फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में सीमेन्ट की आपूर्ति आसान होगी।
- फतेहपुर में अभी सीमेन्ट बाहर से ही मंगवायी जाती है। इस सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित होने के बाद अब इन क्षेत्रों के बाजार में बदलाव देखने को मिलेगा।
- इसके स्थापित होने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
- इस परियोजना से सरकार और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल और साझेदारी को प्राथमिकता मिलेगी।
- उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील नवीन और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तन्त्र का निर्माण होगा।

4— भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5— अतः राज्यपाल फतेहपुर तहसील बिन्दकी में डालमिया भारत ग्रीन विजन लि0 द्वारा 2 एम0टी0ए0 सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट की स्थापना हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर—
फतेहपुर	बिन्दकी	पट्टर	211ग	0.0230
			223	0.1792

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
फतेहपुर	बिन्दकी	पहुर	224	0.4909
			225क	0.0240
			227	0.0046
			298	0.1395
			299	0.0565
			300	0.0970
			303	0.0280
			305	0.2180
			353	0.1020
			354	0.3320
			355क	0.1660
			357	0.1106
योग . .				1.9713

6— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निदिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड, कानपुर नगर में देखा जा सकता है।

कलेक्टर,
फतेहपुर।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, FATEHPUR

Notification Under section 11 of the Right to Fair compensation and Transparency in
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013,

NOTIFICATION

December 03, 2025

No. 1908 /8-ADM(LA) Kanpur Nagar—1- Under sub-section 1 of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Collector Fatehpur is of the opinion that for setting up of 2 MTA cement grinding unit by Dalmia Bharat Green Vision Ltd., a total land measuring 1.9713 hectares is required in Village Pahur of district Fatehpur tehsil Bindki.

2- The study related to social impact assessment has been done by the State Social Impact Assessment Agency and its recommendations have been submitted to the appropriate government, which has been approved by the appropriate government.

3- The Social Impact assessment is summarized as follows:

- This plant will facilitate the supply of cement to Fatehpur and surrounding areas.
- At present, cement is imported from outside in Fatehpur. After the establishment of this cement factory, changes will be seen in the market of these areas.

- After its establishment, a large number of people will also get employment.

This project will prioritize coordination and partnership between the government and the private sector.

- A progressive, innovative and competitive industrial ecosystem will be created in Uttar Pradesh.

4- No family is being displaced due to land acquisition.

5- Therefore, the Governor is pleased to give his consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for setting up of 2 MTA Cement Grinding Unit by Dalmia Bharat Green Vision Ltd. in Fatehpur Tehsil Bindki.

Schedule

District	Tahsil	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5
				<i>Hectares</i>
Fatehpur	Bindki	Pahur	211ग	0.0230
			223	0.1792
			224	0.4909
			225क	0.0240

1	2	3	4	5
				<i>Hectares</i>
Fatehpur	Bindki	Pahur	227	0.0046
			298	0.1395
			299	0.0565
			300	0.0970
			303	0.0280
			305	0.2180
			353	0.1020
			354	0.3320
			355क	0.1660
			357	0.1106
			Total . .	1.9713

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed. without prior approval of the Collector.

Note- A side Plan of the land may be inspected in the Office of the Additional District Magistrate (L.A) 37/17 Westcott Building Mall Road. Kanpur Nagar.

Collector,
Fatehpur.

कार्यालय, जिलाधिकारी, कानपुर देहात**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का****अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11****अधिसूचना**

08 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 1956/आठ-अ0जि0 (भू0अ0) कानपुर नगर— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उप धारा-1 कलेक्टर कानपुर देहात की राय है कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एल0पी0जी0 बॉटलिंग प्लान्ट एवं बल्क डिस्पैच टर्मिनल की स्थापना हेतु जनपद कानपुर देहात तहसील अकबरपुर के ग्राम रसूलपुर गोगूमऊ, सुल्तानपुर पेराजोर व लोदीपुर की कुल 1.4244 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2— राज्य सामाजिक समाधात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3— सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है— इस प्लान्ट से यूपी के अलग-अलग हिस्सों में कुकिंग गैस की आपूर्ति आसान होगी। इससे आम जन को फायदा होगा। इस प्लान्ट में व्यवसायिक और घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेन्डरों की रिफिलिंग भी की जायेगी।

4— भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5— अतः राज्यपाल कानपुर देहात तहसील अकबरपुर में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एल0पी0जी0 बॉटलिंग प्लान्ट एवं बल्क डिस्पैच टर्मिनल की स्थापना हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
कानपुर देहात	अकबरपुर	रसूलपुर गोगूमऊ	19	0.0500
			23	0.0440
			36	0.0236
			38ख	0.0067
			योग . .	0.1243

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
कानपुर देहात	अकबरपुर	सुल्तानपुर पेराजोर	271	0.4000
			274	0.6810
			327	0.0013
			337ख	0.0062
			योग . .	1.0885
		लोदीपुर	1216ख	0.2116
			कुल योग . .	1.4244

6— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निदिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड, कानपुर नगर में देखा जा सकता है।

कलेक्टर,
कानपुर देहात।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR DEHAT

Notification Under section 11 of the Right to Fair compensation and Transparency in
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013,

NOTIFICATION

December 08, 2025

No. 1956 /VIII-A.D.M.(L.A.) Kanpur Nagar—Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act-2013 Sub-section-1 of Section-11 Collector Kanpur Dehat is of the opinion that for setting up of L.P.G. Bottling Plant and bulk dispatch terminal by Bharat Petroleum Corporation Limited in Tehsil-Akbarpur, Rasulpur Gogumau, Sultanpur Perajor and Lodipur 1.4244 Hactares Land is Required Kanpur Dehat District.

2. The study related to social impact assessment has been done by the State Social Impact Assessment Agency and its recommendations have been submitted to the appropriate government, which has been approved by the appropriate government on 10.01.2022.

3. The Social Impact assessment is summarized as follows- This plant will facilitate the supply of Cooking Gas to various parts of Uttar Pradesh. This will benefit the general public. The plant will also refill cylinders for commercial and domestic use.

4. No family is being displaced due to land acquisition.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information the land mentioned in the following schedule for setting up of L.P.G. Bottling Plant and Bulk Dispatch Terminal by Bharat Petroleum Corporation Limited in Tehsil Akbarpur, Kanpur Dehat.

Schedule

District	Tahsil	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5
				<i>Hectares</i>
Kanpur Dehat	Akberpur	Rasoolpur Gogumau	19	0.0500
			23	0.0440
			36	0.0236
			38ख	0.0067
			Total . .	0.1243
	Sultanpur Perajor		271	0.4000
			274	0.6810
			327	0.0013
			337ख	0.0062
			Total . .	1.0885
		Lodipur	1216ख	0.2116
Grand Total . .				1.4244

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entreupon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-soil and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed. without prior approval of the Collector.

NOTE- A side Plan of the land may be inspected in the Office of the Additional District Magistrate (L.A.) 37/17 Westcott Building Mall Road, Kanpur Nagar.

Collector,
Kanpur Dehat.

कार्यालय, जिलाधिकारी, मथुरा

भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा-11 की अधिसूचना

भूमि अध्यापित अनुभाग

19 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० 2419/वि०भू०अ०अ०/सं०सं०/मथुरा/2025—भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर, मथुरा की राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जनपद मथुरा में बरसाना-ऊँचागाँव मार्ग से अडानी गैस प्लांट तक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु जनपद मथुरा, तहसील-गोवर्धन स्थित राजस्व ग्राम-डभाला/क्षे० 0.0880 हैक्टे०, मानपुर/क्षे० 0.7329 हैक्टे०, ऊँचागाँव/क्षे० 0.9517 हैक्टे० एवं खौर/क्षे० 0.0176 हैक्टे०, तदनुसार कुल क्षेत्रफल 1.7902 हैक्टे० भूमि की आवश्यकता है।

2—सामाजिक समाघात निर्धारण गठित कमेटी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन किया गया है तथा कलेक्टर मथुरा को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे कलेक्टर मथुरा द्वारा दिनांक 01.12.2025 को अनुमोदित किया गया है।

3—संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना से सम्बन्धित गठित कमेटी की संस्तुतियां निम्नानुसार हैं :—

(क) जनपद मथुरा में बरसाना-ऊँचागाँव मार्ग से अडानी गैस प्लांट तक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु राजस्व ग्राम-डभाला/क्षे० 0.0880 हैक्टे०, मानपुर/क्षे० 0.7329 हैक्टे०, ऊँचागाँव/क्षे० 0.9517 हैक्टे० एवं खौर/क्षे० 0.0176 हैक्टे०, तदनुसार कुल क्षेत्रफल 1.7902 हैक्टे० भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना जनहित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति और सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। उक्त मार्ग निर्माण से जनपद मथुरा के चहुँमुखी विकास के साथ-साथ सुगम यातायात को विशेष सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

(ख) भूमि के अर्जन से सम्भावित लाभ मार्ग निर्माण के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। मार्ग निर्माण के संरेखण में प्रभावित भूमि का लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

4—इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

सारणी

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
मथुरा	गोवर्धन	बरसाना	डभाला	3	0.0880
			योग	—	0.0880
मथुरा	गोवर्धन	बरसाना	मानपुर	1	0.0240
				2	0.0585
				7	0.0045
				8	0.0080
				9	0.0150
				10	0.0125
				26	0.0310
				28	0.1070
				30	0.0560
				39	0.0864
				40	0.1040
				60	0.0680
				62	0.0370
				69	0.0560
				70	0.0350
				71	0.0150
				72	0.0150
			योग	—	0.7329

1	2	3	4	5	6
मथुरा	गोवर्धन	बरसाना	ऊँचागांव	515	0.0840
				516	0.0168
				518	0.1344
				525	0.0240
				526	0.0336
				527	0.0360
				528	0.0240
				529	0.0456
				530	0.0192
				535	0.0588
				536	0.0217
				537	0.1202
				539	0.1190
				540	0.0224
				541	0.0256
				542	0.0256
				543	0.0256
				544	0.0304
				545	0.0264
				546	0.0136
				547	0.0144
				548	0.0144
				550	0.0160
			योग	—	0.9517
मथुरा	गोवर्धन	बरसाना	खौर	68	0.0176
—	—	—	योग	—	0.0176
			कुल योग	—	1.7902

6-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा (भूमि अध्याप्ति अनुभाग) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

राकेश कुमार,
कलेक्टर,
मथुरा।

Office of the District Magistrate, Mathura
Notification of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
Land Acquisition Section

December 19, 2025

No. 2419/S.L.A.O./J.O./Mathura/2025—Under Sub-Section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Collector, Mathura is of the opinion that for the new construction work of the road from Barsana-Unchagaon road to Adani Gas Plant in District Mathura for public purpose through Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Mathura, area 0.0880 hectare in Village-Dabhala, area 0.7329 hectare in Village-Manpur, area 0.9517 hectare in Village-Unchagaon and area 0.0176 hectare in Village Khor Tehsil- Govardhan, District-Mathura accordingly total land area of 1.7902 hectare is required.

2. Social Impact Assessment study has been carried out by the Social Impact Assessment Committee and its recommendation has been submitted to Collector, Mathura, which has been approved by Collector, Mathura on dated 01.12.2025.

3. In brief, the recommendations of the committee constituted regarding the Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan are as follows:—

- (a) For the new construction work of the road from Barsana-Unchagaon road to Adani Gas Plant in District Mathura, the acquisition of land in area 0.0880 hectare in Village-Dabhala, area 0.7329 hectare in Village-Manpur, area 0.9517 hectare in Village-Unchagaon and area 0.0176 hectare in Village- Khor, Pargana- Barsana, Tehsil- Govardhan, District-Mathura accordingly total land area of 1.7902 hectare is in public interest and this fulfils the public purpose and the objective of social

benefit and social welfare. With the construction of the said road, along with all-round development of Mathura district, special facility for smooth traffic can be provided.

- (b) The potential benefits of land acquisition are far more than the social costs and adverse social impacts of the road construction. The land affected in the alignment of road construction is proposed to be acquired by the Public Works Department.

4. No family is being displaced due to land acquisition for this project.

5. Therefore, the Governor is pleased to consent for notifying for general information the land mentioned in the following Schedule for public purpose.

SCHEDULE

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Mathura	Govardhan	Barsana	Dabhala	3	0.0880
				Total	0.0880
Mathura	Govardhan	Barsana	Manpur	1	0.0240
				2	0.0585
				7	0.0045
				8	0.0080
				9	0.0150
				10	0.0125
				26	0.0310
				28	0.1070
				30	0.0560
				39	0.0864
				40	0.1040
				60	0.0680
				62	0.0370
				69	0.0560
				70	0.0350
				71	0.0150
				72	0.0150
				Total	0.7329

1	2	3	4	5	6
Mathura	Govardhan	Barsana	Unchagaon	515	0.0840
				516	0.0168
				518	0.1344
				525	0.0240
				526	0.0336
				527	0.0360
				528	0.0240
				529	0.0456
				530	0.0192
				535	0.0588
				536	0.0217
				537	0.1202
				539	0.1190
				540	0.0224
				541	0.0256
				542	0.0256
				543	0.0256
				544	0.0304
				545	0.0264
				546	0.0136
				547	0.0144
				548	0.0144
				550	0.0160
				Total	0.9517
Mathura	Govardhan	Barsana	Khor	68	0.0176
				Total	0.0176
Grand Total					1.7902

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps and conduct survey of land, levelling of any land, digging and do all the acts required for the proper execution of the work as provided and specified under Section 12 of the Act.

7. Under Section 15 of the Act, any person having interest in land may submit an objection in writing to the Collector against the acquisition of land in his area within 60 (days) of the publication of the notification.

8. Under Section 11 (4) of the Act, no person, shall make or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

Note:—The site map of the said land can be inspected in the office of the District Magistrate, Mathura (Land Acquisition Section).

Rakesh Kumar,
Collector, Mathura.

कार्यालय, जिलाधिकारी, मथुरा

**भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा-11 की अधिसूचना**

भूमि अध्यापित अनुभाग

19 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 2420/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2025—भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर, मथुरा की राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जनपद मथुरा में बरसाना-ऊँचागाँव-सुनहरा मार्ग (अ0जि0मा0) (लम्बाई 3.500 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु जनपद-मथुरा, तहसील-गोवर्धन, स्थित राजस्व ग्राम ऊँचागाँव में रकवा 1.2625 है0 भूमि की आवश्यकता है।

2—सामाजिक समाघात निर्धारण गठित कमेटी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन किया गया है तथा कलेक्टर मथुरा को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे कलेक्टर मथुरा द्वारा दिनांक 01.12.2025 को अनुमोदित किया गया है।

3—संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना से सम्बन्धित गठित कमेटी की संस्तुतियां निम्नानुसार हैं :—

(क) जनपद मथुरा में बरसाना-ऊँचागाँव-सुनहरा मार्ग (अ0जि0मा0) (लम्बाई 3.500 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु राजस्व ग्राम-ऊँचागाँव में रकवा 1.2625 हैक्टो भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना जनहित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति और सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। उक्त

मार्ग निर्माण से जनपद मथुरा के चहुँमुखी विकास के साथ-साथ सुगम यातायात हेतु विशेष सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

(ख) भूमि के अर्जन से सम्भावित लाभ मार्ग निर्माण के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। मार्ग निर्माण के संरेखण में प्रभावित भूमि का लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

4-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :-

सारणी

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
मथुरा	गोवर्धन	बरसाना	ऊँचागाँव	471	0.0425
				490	0.1720
				491	0.0840
				492	0.0300
				494	0.0400
				495	0.0900
				496	0.0600
				497	0.1370
				499	0.1070
				502मि०	0.0280
				503	0.0280
				504मि०	0.0320
				505	0.0320
				506	0.0420
				508	0.0540
				509	0.1320
				510मि०	0.1520
			योग	17 किता	1.2625

6-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा (भूमि अध्याप्ति अनुभाग) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

राकेश कुमार,
कलेक्टर,
मथुरा।

Office of the District Magistrate, Mathura

Notification of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

Land Acquisition Section

December 19, 2025

No. 2420/S.L.A.O./J.O./Mathura/2025—Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Collector, Mathura is of the opinion that for widening and strengthening work of Barsana-Unchagaon-Sunhara Road (O.D.R) (length 3.500 km) in District Mathura for public purpose through Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Mathura, land measuring 1.2625 hectare in revenue Village- Unchagaon, Tehsil-Govardhan, District-Mathura is required.

2. Social Impact Assessment study has been carried out by the Social Impact Assessment Committee and its recommendation has been submitted to Collector, Mathura, which has been approved by Collector, Mathura on dated 01.12.2025.

3. In brief, the recommendations of the committee constituted regarding the Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan are as follows:-

- (a) The acquisition of land measuring 1.2625 hectares in revenue village Unchagaon for widening and strengthening of Barsana-Unchagaon-Sunhara Road (O.D.R) (length 3.500 km) in Mathura district is in public interest and this fulfils the public

purpose and the objective of social benefit and social welfare. With the construction of the said road, along with all-round development of Mathura district, special facility for smooth traffic can be provided.

- (b) The potential benefits of land acquisition are far more than the social costs and adverse social impacts of the road construction. The land affected in the alignment of road construction is proposed to be acquired by the Public Works Department.

4. No family is being displaced due to land acquisition for this project.

5. Therefore, the Governor is pleased to consent for notifying for general information the land mentioned in the following Schedule for public purpose.

SCHEDULE

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Mathura	Govardhan	Barsana	Unchagaon	471	0.0425
				490	0.1720
				491	0.0840
				492	0.0300
				494	0.0400
				495	0.0900
				496	0.0600
				497	0.1370
				499	0.1070
				502M.	0.0280
				503	0.0280
				504M.	0.0320
				505	0.0320
				506	0.0420
				508	0.0540
				509	0.1320
				510M.	0.1520
				Total	1.2625

6.The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps and conduct survey of land, levelling of any land, digging and do all the acts required for the proper execution of the work as provided and specified under Section 12 of the Act.

7.Under Section 15 of the Act, any person having interest in land may submit an objection in writing to the Collector against the acquisition of land in his area within 60 (days) of the publication of the notification.

8.Under Section 11 (4) of the Act, no person, shall make or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

Note:-The site map of the said land can be inspected in the office of the District Magistrate, Mathura (Land Acquisition Section).

Rakesh Kumar,
Collector, Mathura.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 जनवरी, 2026 ई० (पौष 20, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बिजनौर, बिजनौर

23 अगस्त, 2025 ई०

सं० 240/न०पा०परि०बि०/2022-23-संख्या-3986/बाईलॉज/न०पा०परि०बि०/मच्छर उपविधि/2023-24, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-298 की उपधारा (2) की सूची (ब) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, बिजनौर, जनपद-बिजनौर (मच्छरजनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही) उपविधि बनाती है जिसे नगर पालिका परिषद-बिजनौर, जनपद-बिजनौर में दिनांक 13 जुलाई, 2023 की सम्पन्न बोर्ड की बैठक में बोर्ड प्रस्ताव सं० 15 (2) सर्व सम्मति से पास किया गया है तथा आम जनता के अवलोकन एवं आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु, उक्त अधिनियम की धारा-300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत "दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण" व "पब्लिक इमोशन" में दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 प्रकाशित कराया गया था। 30 दिवस की अवधि में जनता से कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका परिषद, बिजनौर को कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए। नगर पालिका अधिनियम, 1916 में निहित प्राविधानों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त नगरीय मच्छरजनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी-

मच्छरजनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि

1— शीर्षक प्रसार और विस्तार—

(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद, बिजनौर जनपद-बिजनौर (मच्छरजनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही) उपविधि 2023 कहलायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद, बिजनौर जनपद-बिजनौर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

2— परिभाषाएँ—

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में.....

(क) “अध्यक्ष से तात्पर्य” नगर पालिका परिषद, बिजनौर जनपद-बिजनौर के अध्यक्ष से है।

(ख) “अधिशासी अधिकारी” से तात्पर्य नगर पालिका परिषद बिजनौर, जनपद-बिजनौर के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) “नगर स्वास्थ्य अधिकारी” से तात्पर्य नगर पालिका परिषद बिजनौर, जनपद-बिजनौर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी से है, और नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पद ना हो अथवा विद्यमान पद पर कोई अधिकारी तैनात न होने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी होगा।

3— प्रतिषेध— कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में—

(1) पानी को ऐसा जमा नहीं होने देगा या बहने नहीं देगा कि जिसमें मच्छर अपना प्रजनन (ब्रीडिंग) कर सके या उनके उसमें प्रजनन करने की संभावना हो।

(2) इस क्षेत्र में न तो खुद पानी जमा होने देगा और न दूसरे को ऐसा करने की इजाजत या अनुमति देगा और किसी प्रकार से पानी को वहां जमा या संचित होने देगा जिसमें मच्छर पैदा होते हो या पैदा होने की संभावना हो। ऐसा वह उसी हालत में देगा जब उस पानी का इस प्रकार उपचार (ट्रीटमेन्ट) हो गया हो कि उसमें मच्छर पैदा ही न होने पायें।

4— प्रजनन अभिज्ञापन— किसी भी स्थिर के पानी या बहते पानी के जल निकास (वाटर बाडी) में यदि लार्वे पाये जाये तो इस बात के प्रमाण होंगे कि उस पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है।

5— मच्छरों के प्रजनन (ब्रीडिंग प्लेसेज) का कीटनाशक उपचार—

(1) नगर स्वास्थ्य अधिकारी जिन रूके हुए या बहते हुए पानी के स्थानों में मच्छर पनप रहे हो या उनके पनपने की संभावना हो, उन सभी स्वामियों (ओनरों) अभिग्राहियों (ऑक्यूपायरों) को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में जो चोबीस घंटों से कम नहीं) भौतिक रसायनिक अथवा जैविक किसी भी विधि से या अन्य किसी ऐसे उपयुक्त उपाय से जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी उचित समझते हों, उन प्रजनन स्थलों को उपचारिता (ट्रीट) करवायेगा।

(2) यदि उपविधि-1 के अन्तर्गत अधिग्राही (आक्यूपायर, किरायेदार, लीज आदि पर आवास लेने वाले) को जो नोटिस दिया जाता है और इसके विपरीत में कोई कारनामा व्यक्त (एक्सप्रेसड) या व्यक्ति (इप्लाइड) नहीं हुआ है तो मालिक से उसके द्वारा नोटिस में बताये गये उपायों पर खर्च की गयी उचित धनराशि मांग सकता है अथवा उस किराये में काट सकता है, जो उसे मकान मालिक को देना है।

6— व्यक्तिगत अथवा चक्र पर कार्यवाही— यह उपविधि 5(1) के अन्तर्गत यह व्यक्ति जिस पर नोटिस जारी किया गया है बताये गये उपाय करने से इन्कार करता है या नोटिस में विहित उपचार निर्दिष्ट समय में नहीं

करवा सकता है और इसका खर्चा जैसी भी स्थिति हो मौलिक या किरायेदार से वसूली कर सकता है मानो वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

7— मच्छर रोधी संरचनाओं (की सुरक्षा)— किसी भी जमीन पर या भवन में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए सरकार ने स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी निर्देश से अभिग्राही (ऑक्यूपायर) ने यदि कोई निर्माण करवाया है तो अध्यक्ष उस जमीन या भवन का उपयोग किसी ऐसे काम के लिए रोक सकता है जो कि मच्छर रोधी इन संरचनाओं की नुकसान पहुंचाने या कार्य कुशलता में गिरावट लाये।

8— मच्छर निवारण/नियंत्रण कार्य में दखलन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक— नगर स्वास्थ्य अधिकारी के अनुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उस स्थान पर या उस भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी हो किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं करेगा न उसे बिगाड़ेगा, न नष्ट करेगा और न बेकार करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो अधिशाली अधिकारी फिर उस रचना (स्ट्रक्चर) को बनवायेगा या उस सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्चा उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानो वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

9— घर के पात्र या बर्तन— घर, भवन, शेड (शायवान) या जमीन का मालिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल, बर्तन, बाल्टी, डिब्बा या अन्य को साबुत या टूटा हुआ, इस तरह से नहीं रखेगा कि उसमें पानी जमा होने की संभावना हो या पानी भरा रहे, जिससे उसमें मच्छर पैदा हो।

10— निर्माण कार्य जैसे—सड़क निर्माण करने, रेलवे लाईन डालने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढे (बोरो पिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहे। जहाँ भी सम्भव और व्यवहार्य हो इन बोरपिटों के किनारे को साफ रखा जाये। एक प्रतिशत का अतिरिक्त खर्चा इस काम के लिए किया जाये बोरपिट के तले में इस प्रकार का ढाल और रूप दिये जाये कि नालियों से पानी एक बोरपिट से निकलकर दूसरे में चला जाये और आखिर में सबसे समीप नाले में मिल जाये। कोई भी व्यक्ति अलग से कोई बोरपिट नहीं बनवायेगा, जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हो।

11— यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना का कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद हो या इन उपबन्धों के अन्तर्गत कोई ऐसा निर्माण कार्य हो, जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार भी उलझी हो, तो इस मामले में भारत सरकार का फैसला अन्तिम होगा।

12— स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिसर (प्रेमिसेज) में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार— इन उपनियमों के प्रवर्तन हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी या सैनेटरी इंस्पेक्टर के पद से अन्यून कोई अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद: विवेक सम्मत समय पर घरों में प्रवेश कर सकेगा। अपने क्षेत्राधिकारी की किसी जमीन या भवन में प्रवेश और इस भवन का मालिक या किरायेदार जैसा भी हो, इस प्रदेश और निरीक्षण में अपनी पूरी सहायता देगा और वह सभी जानकारी देगा, जिसकी मलेरिया नियंत्रण कार्य में जरूरत है।

शास्ति

उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-299 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नगर पालिका परिषद् बिजनौर, जनपद-बिजनौर यह निर्देश देती है कि इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के उल्लंघन पर रु0 1,000/- तक जुर्माना किया जा सकेगा और अपराध जारी रहने पर प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, 50/- रुपये तक हो सकता है।

इन्दिरा सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
बिजनौर।

कार्यालय नगर पंचायत बिशारतगंज, जनपद बरेली

12 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 161/न0पं0बि0/2025-2026—नगर पालिका अधिनियम-1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा-298 (2)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत बिशारतगंज द्वारा अपनी सीमा में “भवन निर्माण उपविधि-2025” सम्बन्धी उपविधि बनायी है, जिसे नगर पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2025 के प्रस्ताव संख्या-20 द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित उपविधि को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-300(1) के अनुसार कार्यालय के पत्रांक संख्या-26/न0पं0बि0/2025-26, दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण व अमृत विचार के अंक में इस आशय से उन व्यक्तियों के लिए प्रकाशन कराया गया कि जिन पर इस नियमावली का प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ने की सम्भावना है वह व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यालय नगर पंचायत बिशारतगंज को प्रस्तुत कर सकते थे, परन्तु प्रकाशन के उपरान्त नियत समय सीमा तक किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। आपत्ति/दावा प्राप्त न होने की दशा में अनुमोदित नियमावली को बिना कोई संशोधन किये हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 के उपखण्ड-दो-के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।

भवन निर्माण उपविधि-2025

1— शीर्षक— यह उपविधि नगर पंचायत बिशारतगंज, जनपद बरेली भवन निर्माण उपविधि वर्ष-2025 कहलायेगी।

2— प्रकृति— यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत बिशारतगंज बरेली में प्रभावी रहेगी।

3— परिभाषाएँ— जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में—

1— अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम संख्या-2, 1916 से है।

2— “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर बिशारतगंज, जनपद बरेली से है।

3— “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत बिशारतगंज बरेली के अधिशाली अधिकारी से है।

4— “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत बिशारतगंज जनपद बरेली के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

5— “नगर पंचायत की सीमाओं” का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

6— “बोर्ड” का तात्पर्य नगर पंचायत बिशारतगंज, बरेली के बोर्ड से है।

7— “निर्माण” का तात्पर्य किसी भी प्रकार के आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्था, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, धर्मार्थ संस्था अथवा जन हितार्थ भवन का ले-आउट प्लान या निर्माण या निर्मित भवनों में परिवर्तन/परिवर्धन अथवा विस्तार किये जाने से है।

4— निर्माण कार्य को नियंत्रित एवं नियमित करने सम्बन्धी प्रक्रिया— उक्त उपविधि के लागू हो जाने के उपरान्त कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था नगर पंचायत सीमान्तर्गत किसी भी प्रकार के आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्था, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, धर्मार्थ संस्था अथवा जन हितार्थ भवन का ले-आउट प्लान या निर्माण या निर्मित भवनों में परिवर्तन/परिवर्धन अथवा विस्तार करना चाहता है, तो वो नगर पालिका अधिनियम 1916

की धारा-178 के अनुसार अधिशासी अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में नोटिस प्रस्तुत करेगा। नोटिस के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1— मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट अथवा ड्रॉफ्टमैन द्वारा निर्मित विस्तृत मानचित्र, जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण (आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक) अंकित हों।

2— स्थल की सीमायें और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की होगी।

3— स्थल का नजरी नक्शा (की प्लान) तथा भू-विन्यास या भू-खण्डों का विभाजन।

4— भूमि का स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख।

5— विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुँचने (यदि कोई हो) का मार्ग।

6— यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कोई आवासीय/व्यावसायिक प्लान प्रस्तुत किया जाता है तो सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति का यह दायित्व होगा सम्पूर्ण प्लानिंग क्षेत्र में सड़क, पेयजल, जल निकासी, पार्क, मार्ग प्रकाश तथा सीवेज की व्यवस्था करेगा एवं मुख्य सड़क की चौड़ाई 30 फिट से कम नहीं होगी तथा अन्य सड़कों की चौड़ाई 20 फिट से कम नहीं होगी। नगर पंचायत से सम्पूर्ण प्लानिंग क्षेत्र का नक्शा बिना स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण, विकास चिन्हांकन आदि का कार्य नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त समस्त निर्माण/विकास को ध्वस्त करने का अधिकार नगर पंचायत बिशारतगंज को होगा।

5— शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा—

क्र० सं०	भवन/भू-खण्ड का प्रकार	भू-तल प्रति वर्ग मी०	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग मी०
1	2	3	4
		रुपये—	रुपये—
1	आवासीय भवन (200वर्ग मी० तक)।	15.00	10.00
2	आवासीय भवन (200वर्ग मी० से अधिक)।	20.00	20.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (200वर्ग मी० तक)।	30.00	30.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (200 वर्ग मी० से अधिक)।	40.00	40.00
5	भू-खण्ड/प्लानिंग एरिया।	40.00	40.00
6	मानचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क रु० 1,000.00 या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम देय होगा।		
7	प्लानिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।		

नोट— उक्त वर्णित दरों में प्रति तीन वर्ष में दस प्रतिशत की वृद्धि लागू मानी जायेगी।

6— स्वीकृत करने की प्रक्रिया— अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन निर्माण सम्बन्धी आवेदन व मानचित्र प्राप्त होने पर अवर अभियन्ता की जाँच उपरान्त नेशनल बिल्डिंग कोड एवं ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से तुलना किये जाने पर संतुष्ट हो जाने पर निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क जमा कराने के पश्चात नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-180 का पूर्ण अनुपालन करते हुये निर्धारित शर्तों पर अधिशासी अधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृत करके निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

7— अन्य शर्तें—

1— नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य होगी। एक वर्ष से अधिक बढ़ाये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा मूल दरों 10 प्रतिषत तक अतिरिक्त शुल्क जमा कराये जाने पर स्वीकृति अग्रिम एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।

2— सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन (Ramp) स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3— निर्माण कार्य मुख्य सड़क से 1.25 मीटर छोड़कर कराना होगा।

4— धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बीच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

5— 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

6— किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

7— किसी भी भवन का अवैध निर्माण या परिवर्तन किये जाने पर निर्माण कार्य को रोकने के उपरान्त निर्मित भवन को नगर पंचायत द्वारा गिरा देने पर नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-185 व 186 में निर्धारित की गयी है। प्रक्रिया का पालन किया जाये।

8— भवन का पिलिन्ध (Chair) भवन के सामने की सड़क से अधिकतम 0.750 मीटर ऊँचा रखा जायेगा।

9— बहुमंजिला/व्यावसायिक भवनों में फायर सेफ्टी के प्रावधान करने का दायित्व सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था का होगा।

शास्ति

उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम-2, 1916) की धारा-299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बिशारतगंज, जनपद-बरेली यह निर्देश देती है कि इस उपविधि का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय/मजिस्ट्रेट के समक्ष पंचायत द्वारा चालान प्रस्तुत किये जाने पर 10,000/— रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। यदि उल्लंघन निरन्तर किया जायेगा तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से रु0 25/— (पच्चीस रुपये मात्र) अर्ध-दण्ड प्रतिदिन किया जायेगा।

मो0 ताज,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बिशारतगंज,
बरेली।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ

विज्ञप्ति

31 दिसम्बर 2025 ई0

संख्या : S.M.F./2025/10533—यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित चिकित्सकों को उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नियम-3 के भाग 9-10 एवं 11-12 के अन्तर्गत रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति के लिये 3 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है—

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. डा0 सूर्य कान्त,
49, जगत नारायण रोड, मेडिकल कालेज चौराहा के पास, लखनऊ। | नियम-3 के भाग-9 के अन्तर्गत। |
| 2. डा0 चन्द्र मणि सिंह,
निदेशक कार्यालय, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ। | नियम-3 के भाग-10 के अन्तर्गत। |
| 3. डा0 सौरभ श्रीवास्तव,
सी0 आर0-402, एल्लिको ग्रीन, मेडास सेक्टर पी-1, ग्रेटर नोयडा। | नियम-3 के भाग-11 के अन्तर्गत। |
| 4. डा0 सीमा यादव,
18/492 इन्दिरा नगर, लखनऊ। | नियम-3 के भाग-12 के अन्तर्गत। |

डा0 अनुराग श्रीवास्तव,
निर्वाचन अधिकारी/सचिव,
उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम गुड्डन पत्नी सभा नारायण है जो मेरे परिवार रजिस्टर, बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड, तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच आख्या में अंकित है। मेरे आधार कार्ड सं0-9315 8661 4959 में मेरा नाम मालती अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गुड्डन पत्नी सभा नारायण के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गुड्डन पत्नी सभा नारायण,
निवासी—कुल्लूखेड़ा तह0 अतर्रा जिला बांदा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनारकली पत्नी इकपाल सिंह है जो मेरे निर्वाचन कार्ड , बैंक पासबुक, मेरे पति के सम्बन्धित अभिलेखों तथा उपजिलाधिकारी जॉच आख्या में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6053 8469 2363 में मेरा नाम अनीता सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनारकली पत्नी इकपाल सिंह नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनारकली पत्नी इकपाल सिंह,
निवासी— मं0नं0 103, हिमसिटी पार्ट-1,
गणेशपुर रहमानपुर चिनहट, जनपद लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जियांशु उपाध्याय पुत्र निलेश कुमार उपाध्याय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6845 4549 6707 में उसका नाम जिग्नेश उपाध्याय अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जियांशु उपाध्याय पुत्र निलेश कुमार उपाध्याय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

निलेश कुमार उपाध्याय,
ग्राम बैरा खास पो0 लक्ष्मणपट्टी,
जिला-भदोही।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अविरल दिवाकर मिश्रा पुत्र श्री अनिल कुमार मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8147 5236 4116 में उसका नाम सबल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अविरल दिवाकर मिश्रा पुत्र अनिल कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अनिल कुमार मिश्रा, पुत्र दिवाकर मिश्रा,
निवासी-मोहल्ला काशीपुर कस्बा रुदौली,
थाना व तहसील रुदौली,
जनपद अयोध्या, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आमिल अन्सारी पुत्र मो0 आरिफ अन्सारी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार

कार्ड सं0-4159 5164 6007 में मेरा नाम मो आरिफ अन्सारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरा सही नाम आमिल अन्सारी पुत्र मो0 आरिफ अन्सारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आमिल अन्सारी पुत्र मोहम्मद आरिफ अन्सारी,
निवासी-79, संत रविदास नगर, प्राइमरी स्कूल,
खमरिया, औराई, खमरिया नं0-2,
जनपद भदोही, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यसोमयजुला शास्वत कुमार पुत्र ए0 नरेश कुमार है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5580 1347 1100 में उसका नाम ए0 शास्वत कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यसोमयजुला शास्वत कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ए0 नरेश कुमार पुत्र ए0 प्रसाद राव ,
निवासी- बारा थर्मल पावर प्लांट एप-11/3,
प्रयाग विहार, लोहगरा, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुज पांडेय पुत्र राम अजोर पांडेय है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6155 9580 1476 में मेरा नाम सूरज पांडेय

अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनुज पांडेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुज पांडेय,
निवासी— चौबाराडीह न्यायिकपुर होलागढ़,
सोरांव, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पृथ्वी राज सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह है जो कि, मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8386 4740 5417 में पृथु राज सिंह हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे सही नाम पृथ्वी राज सिंह (Prithvi Raj Singh) पुत्र ज्ञान सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पृथ्वी राज सिंह,
निवासी-227C सेनानी विहार तेलीबाग,
लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वागेश कुमार (VAGESH KUMAR) पुत्र अंकित कुमार है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8770 6717 1217 में मेरा नाम वागीश कुमार (VAGISH KUMAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वागेश कुमार (VAGESH KUMAR) पुत्र अंकित कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वागेश कुमार पुत्र अंकित कुमार,
निवासी— N-391 केशवपुरम आवास विकास-1,
कल्यानपुर कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हर्षित त्रिपाठी पुत्र जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2734 1190 2043 में उसका नाम गोपाल त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हर्षित त्रिपाठी पुत्र जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र विनोद प्रसाद त्रिपाठी,
निवासी— 14, पशुपति नगर, नौबस्ता,
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम समृष्टि शुक्ला (Samrishti Shukla) पुत्री आशीष शुक्ला है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8170 9732 1116 में उसका नाम शुभ्रा शुक्ला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम समृष्टि शुक्ला (Samrishti Shukla) पुत्री आशीष शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आशीष शुक्ला, पुत्र रामकुमार,
निवासी—अर्जुनपुरवा शहर लखीमपुर,
जनपद— लखीमपुर खीरी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम (Davendra Singh) पुत्र सकटे लाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—7342 3345 1030 में मेरा नाम Devendar Singh अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम (Davendra Singh) पुत्र सकटे लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

Davendra Singh पुत्र सकटे लाल,
नि0 Akhai ka nagala,
गोसरपुर फर्रुखाबाद, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम माही पुत्री राकेश कुमार मौर्य है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—4166 1183 0785 में उसका नाम लक्ष्मी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम माही पुत्री राकेश कुमार मौर्य के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राकेश कुमार मौर्य, पुत्र मुन्ना लाल मौर्य,
नि0—राजपुर पो0 भुवा पठखौली,
तहसील लम्बुआ, जिला सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लीलावती पत्नी लाल जी है जो कि मेरे खतौनी निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—4664 0017 2367 में मेरा नाम जिलेबा पत्नी लालजी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लीलावती पत्नी लालजी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लीलावती पत्नी लालजी,
ग्राम—बसवार पोस्ट—परतावल,
तहसील—सदर जनपद महाराजगंज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य प्रताप सिंह राठौर (Aditya Pratap Singh Rathore) पुत्र चन्द्र भान सिंह है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—2458 0220 7827 में उसका नाम आदित्य अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य प्रताप सिंह राठौर (Aditya Pratap Singh Rathore) पुत्र चन्द्र भान सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

चन्द्रभान सिंह, पुत्र मोहर सिंह राठौर,
नि0— माता का मंदिर, बिजौली बाह,
आगरा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम चारुल राठौर (Charul Rathore) पुत्री चन्द्र भान सिंह है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-8357 7435 0882 में उसका नाम चारु अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम चारुल राठौर (Charul Rathore) पुत्री चन्द्र भान सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

चन्द्रभान सिंह, पुत्र मोहर सिंह राठौर,
नि०- माता का मंदिर, बिजौली बाह,
आगरा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अरुण कुमार पुत्र धन कुमार है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-6339 6985 2059 में मेरा नाम नन्द लाल राम (Nand Lal Ram) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अरुण कुमार (Arun Kumar) पुत्र धन कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अरुण कुमार पुत्र धन कुमार,
नि०- ग्राम व पोस्ट बसन्तपुर,
जिला बलिया उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम समीर वर्मा पुत्र देव कुमार वर्मा है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड

सं०-9949 9839 2718 में मेरा नाम प्रिस कुमार हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम समीर वर्मा पुत्र देव कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

समीर वर्मा पुत्र देव कुमार वर्मा,
पता-ग्राम मतुका पो० रामडीह थाना कपसेठी,
जनपद वाराणसी।

NOTICE

This is to inform the general public that my son's correct name is Sarthak Singh, son of Kuldeep Kumar Singh, as mentioned in his educational records. Due to an error, my son's name has been listed as Kuldeep Kumar Singh on his Aadhaar Card Number 6550 5388 2560 which is incorrect. In the future, my son should be known and recognized by his correct name. Sarthak Singh, son of Kuldeep kumar Singh. It is hereby certified that all legal formalities in relation to the above have been completed by me personally.

Kuldeep kumar Singh,
Son of Jayshree Prasad,
Village Khajgirpur, Post Ahraura,
Tehsil Chunar, District Mirzapur,
Uttar Pradesh.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हरिजन पवनकुमार राधेय श्याम पुत्र राधेय श्याम है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-9191 8189 6827 में मेरा नाम हरिजन पवनकुमार राधे श्याम हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरा सही नाम हरिजन पवनकुमार राधेय श्याम पुत्र राधेय श्याम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

हरिजन पवनकुमार राधेय श्याम,
पुत्र राधेय श्याम
पता—ग्राम व पोस्ट बरामदपुर जरियारी,,
जिला अम्बेडकर नगर, उ0प्र0।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुभम कुमार श्रीवास्तव,
निवासी—ग्राम मेहदिया, पोस्ट—पडरी,
मुस्तर्का पट्टी, प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नारायणी शर्मा पुत्री राहुल शर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—7947 1076 4963 में उसका नाम सिया शर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नारायणी शर्मा पुत्री राहुल शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राहुल शर्मा,
नि0—गुडहट्टी बाजार मुकुरी बाजार,
तहसील—सदर थाना कोतवाली,
कटरा जिला—मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुभम कुमार श्रीवास्तव पुत्र गिरजा शंकर है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—4583 9389 9564 में मेरा नाम अमित श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुभम कुमार श्रीवास्तव पुत्र गिरजा शंकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंशुमान तिवारी पुत्र पवन कुमार तिवारी है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—6994 1408 5481 में उसका नाम अभिक त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंशुमान तिवारी पुत्र पवन कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पवन कुमार तिवारी,
पुत्र स्व0 राज करन तिवारी,
पता—मं0 नं0 202/208, तुलाराम बाग,
पो0आ0 दारागंज तहसील—सदर,
जनपद—प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रतिभा पटेल (PRATIBHA PATEL) पुत्री अगम लाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—9688 9279 2754 में उसका नाम आस्था सिंह (ASTHA SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रतिभा पटेल (PRATIBHA PATEL) पुत्री अगम लाल (AGAM LAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अगम लाल,
निवासी— डाँडो, करछना, खॉई,
पोस्ट—खॉई प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम साहिस्ता पुत्री मोहम्मद गुलाब है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0— 5108 2018 9203 में उसका नाम तसमिया खान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम साहिस्ता पुत्री मोहम्मद गुलाब के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

गुड़िया पत्नी मोहम्मद गुलाब,
निवासी— हाशिमपुर पाण्डेयपुर,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के जन्म—प्रमाण पत्र में उसका नाम श्रेया सिंह है। उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में उसका नाम जीती जानवी सिंह अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरी पुत्री का ही है। भविष्य में मेरी पुत्री को श्रेया सिंह पुत्री निशांत कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

निशान्त कुमार सिंह,
पुत्र श्री सुरेश प्रकाश सिंह,
निवासी—पी—91 नेहरू इनक्लेब,
गोमती नगर लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रियांशी जायसवाल पुत्री दीपक कुमार जायसवाल जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या— 3152 0797 1514 में उसका नाम प्रियांशी जयसवाल पुत्री दीपक जयसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसने सही नाम प्रियांशी जायसवाल पुत्री दीपक कुमार जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

दीपक कुमार जायसवाल
पता — नवाबगंज अटरामपुर,
प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिताबुद्दीन पुत्र मो. याकूब है जो मेरे बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल, वोटर कार्ड, पैन कार्ड व उप जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—2148 1574 2946 में मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सिताबुद्दीन पुत्र मो. याकूब के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सिताबुद्दीन पुत्र मो0 याकूब,
नि0— ग्राम सराय रतऊ पो0 मेढ़ौली,
मेढ़ौली कला प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उज्जवल उपाध्याय पुत्र आलोक

उपाध्याय है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 8181 8790 6203 में उसका नाम चन्द्र प्रकाश उपाध्याय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उज्ज्वल उपाध्याय पुत्र आलोक उपाध्याय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आलोक उपाध्याय पुत्र कृष्ण दत्त,
नि०—ग्राम रैकल पोस्ट कन्हईपुर,
कुबारी पातेहरा मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रोहित पासवान (ROHIT PASWAN) पुत्र राजेश पासवान है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—3065 3871 2500 में मेरा नाम रोहिता पासवान (ROHITA PASWAN) अंकित हो गया है, जो गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रोहित पासवान (ROHIT PASWAN) पुत्र राजेश पासवान के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रोहित पासवान, पुत्र राजेश पासवान,
नि०—ग्राम—धनौली रामपुर दोहरीघाट,
जनपद—मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पावनी पुत्री रविन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—2043 5416 0239 में उसका नाम अब्ज रवि अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम पावनी पुत्री रविन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रविन्द्र कुमार,
नि०—पट्टी रूपधर ओरिल अम्बरी,
आजमगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जूली मिश्रा पुत्री देवमणि मिश्रा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—8781 0068 2170 में मेरा नाम रीना देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जूली मिश्रा पुत्री देवमणि मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जूली मिश्रा पुत्री देवमणि मिश्रा,
पता— बोमापुर, पोस्ट सिकंदरा,
सिकंदर, सिकंदरा, प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम (AKSHIT PATEL) पुत्र अमरेश कुमार पटेल है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—6461 6873 9064 में उसका नाम (MAYANNK) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम (AKSHIT PATEL) पुत्र अमरेश कुमार पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अमरेश कुमार पटेल, पुत्र सियाराम सिंह,
निवासी—ग्राम मानिकपुर पो० अहरौरा,
जिला मीरजापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कुमारी प्रतिभा पुत्री श्री रबीन्द्र नाथ राय है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। विवाह उपरान्त मैंने अपना नाम कुमारी प्रतिभा से बदलकर प्रतिभा राय रख लिया है। भविष्य में मुझे प्रतिभा राय पुत्री श्री रबीन्द्र नाथ राय पत्नी श्री अखिलेश कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रतिभा राय पत्नी श्री अखिलेश कुमार राय,
निवासी— ग्राम एवं पो0 शेरपुर कलौं,
तहसील मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर उ0 प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम सिद्धांगना भारद्वाज पुत्री आशीष शर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम सिद्धांगना भारद्वाज से बदल कर सिद्धांगना शर्मा रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को सिद्धांगना शर्मा पुत्री आशीष शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आशीष शर्मा, पुत्र स्व0 राधेश्याम शर्मा,
निवासी—11/359, विजय सदन,
विकास नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अलीजा खान पुत्री आशीफ अली खान

है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं० 8996 7832 2754 में उसका नाम अलीसा खान अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अलीजा खान पुत्री आशीफ अली खान के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आशीफ खान,
एस 19/61, वारुनापुल, कैंट,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विवेक कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार है। जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल.आई.सी. पॉलिसी सं० 233580091 में मेरा नाम नितिन अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विवेक कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विवेक कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार,
निवासी—नीबी रायबरेली उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम गुलाब पुत्र दरिया है। जो मेरे निर्वाचन कार्ड एवं खतौनी में अंकित है एवं उपजिलाधिकारी जांच रिपोर्ट साथ में संलग्न है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं०—8725 8748 1200 में मेरा नाम राम स्वरूप अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गुलाब पुत्र दरिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है

गुलाब पुत्र दरिया,
निवासी— 117/522 काली मठिया काकादेव,
नवीन नगर कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम जेसिका सिंह यादव पुत्री प्रदीप कुमार यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या— 9330 7700 3621 में उसका नाम जयना ज्योति यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जेसिका सिंह यादव (JESSICA SINGH YADAV) पुत्री प्रदीप कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं एवं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रदीप कुमार यादव
मकान नं. 1283, खैराबाद, शास्त्रीनगर,
सुलतानपुर (उ.प्र.)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम क्षमा यादव (KSHAMA YADAV) पुत्री घनश्याम सिंह है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 7968 9562 6871 मे मेरा नाम छमा कुमारी अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य मे मुझे मेरे सही नाम क्षमा यादव पुत्री घनश्याम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है

क्षमा यादव
निवासी— ग्राम घोरी, पोस्ट सिरसी,
तहसील मड़िहान जिला मीरजापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अराध्या सिंह पुत्री गोपाल सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं०—5156 9698 5551 में उसका नाम अनन्या सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अराध्या सिंह, पुत्री गोपाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं एवं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

गोपाल सिंह,
पता— पतेर, पटेरे, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मानिका देवी (Manika Devi) पत्नी स्व० राजबली है जो मेरे पति के सेवा सम्बन्धित अभिलेख, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०— 6628 9876 5929 में मेरा नाम मंजू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मानिका देवी (Manika Devi) पत्नी स्व० राजबली के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मानिका देवी पत्नी स्व० राजबली,
पता— ग्राम—निफरा, नंदिनी, परगना कंतित,
तहसील—सदर, जिला मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम यदुनाथ सिंह पुत्र भगवानदीन है जो मेरे, बैंक पासबुक, खतौनी, परिवार रजिस्टर की नकल, बिजली बिल व उप जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7884 6620 8427 में मेरा नाम ताहर अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम यदुनाथ सिंह पुत्र भगवानदीन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

यदुनाथ सिंह, पुत्र भगवानदीन,

निवासी- रमपुरवा पो0 चौडिया थाना कमालपुर,

तहसील सिधौली जिला सीतापुर, उ0प्र0।

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स KARM INTERNATIONAL, ई-1938, राजाजीपुरम, जिला-लखनऊ के विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ। फर्म में 02 साझेदार श्री सुमित कपूर एवं श्रीमती नीलू कपूर साझेदार थे जिसमें एक साझेदार श्री सुमित कपूर का निधन दिनांक 26-09-2025 हो गया है तथा उनके स्थान पर नये साझेदार इसी दिनांक 26-09-2025 से फर्म की साझेदारी में श्री रोहित कपूर नये शामिल हो गये हैं। नई साझेदारी विलेख दिनांक 27-09-2025 को लिखी गई वर्तमान श्रीमती नीलू कपूर एवं श्री रोहित कपूर फर्म में साझेदार हैं।

श्रीमती नीलू कपूर,

साझेदार,

KARM INTERNATIONAL, ई-1938,

राजाजीपुरम, जिला-लखनऊ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० सर्वश्री कम्बाइन्ड एण्टरप्राइजेज, पता- के. एम. 141/4, मथुरा दिल्ली बाईपास रोड, कृष्णा नगर, मथुरा उ०प्र० में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है -

कि भागीदार डीड दिनांक- 09 जून, 2016 के अनुसार फर्म के पूर्व भागीदार श्री उपेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री हरीश चन्द्र द्वितीय पक्ष एवं श्रीमती गीता अग्रवाल पत्नी श्री उपेन्द्र कुमार गर्ग चतुर्थ पक्ष निवासीगण-54 बी, गीता एन्कलेव, बैंक कॉलोनी, मथुरा अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री सुरेश चन्द्र कौशिक व श्रीमती ममता कौशिक ही भागीदार रह गये हैं।

सुरेश चन्द कौशिक,

भागीदार

मे० सर्वश्री कम्बाइन्ड एण्टरप्राइजेज,

पता - के. एम. 141/4, मथुरा दिल्ली बाईपास,

रोड, कृष्णा नगर, मथुरा, उ०प्र०।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० श्री गोपाल जी ट्रेडर्स, अशोक वाटिका कॉलोनी, बिजली घर रोड, सादाबाद, हाथरस-281306 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है -

यह कि दिनांक-13 सितम्बर, 2018 से संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल दास अग्रवाल निवासी- शिव मार्केट डाकखाना रोड सादाबाद, हाथरस को नये भागीदार की हैसियत से फर्म में सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री योगेश कुमार अग्रवाल, श्री विपुल कुमार अग्रवाल तथा श्री संजीव कुमार अग्रवाल भागीदार हैं।

योगेश कुमार अग्रवाल,

भागीदार,

मे० श्री गोपाल जी ट्रेडर्स,

अशोक वाटिका कॉलोनी, बिजली घर रोड,

सादाबाद, हाथरस।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में कहीं पर मेरा नाम राम उजागिर पान्डेय (RAM UJAGIR PANDEY) पुत्र

भगौती पान्डेय तथा कहीं पर राम उगागर पान्डेय (RAM UGAGAR PANDEY) अंकित हो गया है। इसी प्रकार मेरी सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम कहीं पर उर्वशी देवी (URVASHI DEVI) तथा कहीं पर उर्विसा देवी (URVISA DEVI) अंकित हो गया है। जबकि मेरा तथा मेरी पत्नी का सही नाम क्रमशः राम उजागिर पान्डेय (RAM UJAGIR PANDEY) पत्नी का नाम उर्वशी देवी (URVASHI DEVI) है।

एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम उजागिर पान्डेय पुत्र भगौती पान्डेय,
पता— 126, भारी डीहा, मजगवां, खजवा, कटेहरी,
अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वंशिका पाण्डेय (Vanshika Pandey) पुत्री पवन पाण्डेय है जोकि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०— 5998 7301 0097 में उसका नाम परी पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वंशिका पाण्डेय (Vanshika Pandey) पुत्री पवन पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पवन पाण्डेय पुत्र सतीश पाण्डेय
निवासी— आशापुर सारनाथ, वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम श्रेयस पाल (SHREYAS PAL) पुत्र नीरज कुमार पाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में

अंकित है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या—5174 5745 7847 में उसका नाम श्रेयांश पाल (SHREYANSH PAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम श्रेयस पाल (SHREYAS PAL) पुत्र नीरज कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

नीरज कुमार पाल,
पुत्र स्व० प्रभु दयाल पाल,
पता— सी-175 राजाजीपुरम, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इप्सिता पुत्री महेन्द्र कुमार जायसवाल है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखों अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०— 2061 6006 0866 में उसका नाम मिष्ठी जायसवाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ही इप्सिता जायसवाल पुत्री महेन्द्र कुमार जायसवाल के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी।

महेन्द्र कुमार जायसवाल,
पुत्र ईश्वर चन्द्र जायसवाल,
नि० मं० नं०—31/29 घुमनी बाजार,
कानपुर नगर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवांशी सिंह पुत्री धीरेन्द्र सिंह है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख

में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल०आई०सी० पॉलिसी सं० 231266628 में मेरा नाम मनु सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवांशी सिंह पुत्री धीरेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शिवांशी सिंह, पुत्री धीरेन्द्र सिंह,
निवासिनी— 465 के०डी०ए० कालोनी,
देहली सुजानपुर, कानपुर नगर।

NOTICE

This is to inform the general Public that my daughter's name is recorded as SAMBHVI in all her education records and certificates but due to an error, her Aadhar Card shows the name JANVI RAJPUT instead of SAMBHVI in her Aadhar Card Number-986289918877. The name on her Aadhar Card be corrected to her real name, SAMBHVI and that my daughter be known by the name SAMBHVI-

This is to certify that all legal formalities in this regards have been completed by me.

Virendra Singh S/o Rameshbabu,
Resident of - Village- Sujanpur,
Post-Naugaon, Police Station Mainpuri,
Tehsil Mainpuri, District-Mainpuri.